

कार्यालय जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद ।

आदेश क्रमांक : ~~ख.ख.ख.ख.~~ /जी-1-1999/2078-2081 दिनांक : 10-12-99

वी० के० इंटरनेशनल स्कूल लिमिटेड फरीदाबाद

को पहली से पांचवी तक शिक्षा कोड में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक विभाग तक तुरन्त प्रभाव से निम्न शर्तों पर स्थाई मान्यता प्रदान की जाती है ।

1. विद्यालय के प्रबंध स्कूल को अपने ही साधनों से चलायेंगे और सरकार से किसी पद या ग्रांट की मांग नहीं करेंगे।
2. विद्यालय विभाग / सरकार बोर्ड द्वारा समय-2 पर जारी की गईं हिदायतों एवं शर्तों तथा एजुकेशन कोड की धारा 214 के तहत सभी नियमों एवं शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा।
3. विद्यालय स्टाफ का वेतन समय - 2 पर संगीत होने पर नियम अनुसार संगीत राशि जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के नाम से 6 माह के वेतन के बराबर राशि पलैज करवाने को बाध्य होगा।
4. भौवी नियुक्तियां / विभाग द्वारा जारी नियमानुसार की जाये।
5. स्टाफ की जी० पी० एफ० / सी पी एफ सरकार के नियमानुसार चालु किया जाये।
6. फन्डो केयर नियम अनुसार इस कार्यालय में भेजे जाये।
7. शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी विद्यालय रिक्त एवं शैक्षिक कार्य को किसी भी भी समय चेक कर सकता है।
8. अनुभवी अध्यापक लगाये जाये।

HARBANS LAL
जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद । हरियाणा।

पृ० क्रमांक : सम :
इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. उच्च शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद।
3. सम्बन्धित विद्यालय का मुखिया।
4. अनुभाग अधिकारी स्थानिय।

Harbans Lal
जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद । हरियाणा ।
10-12-99